तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2777 / 2004 / सीकर** **जगनाथ बनाम मण्डल इंजिनियर(पश्चिम)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थितः– श्री अजीत सिंह राठौड़, अभिभाषक प्रार्थी। श्री बंसत विजयवर्गीय, अभिभाषक अप्रार्थी । आदेश दिनांकः– 17–10–2023 यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के आदेश दिनांक 18–05–2004 में पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– अभिभाषकगण उभयपक्ष की निगरानी पर बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादीगण / प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीए परीक्षण सहायक कलक्टर सीकर के समक्ष पेश किया।वाद के साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया। इसके बाद परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 19.01.2004 द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर के समक्ष पेश की जिसे भी उन्होने अपने निर्णय दिनांक 18–5–2004 को प्रार्थीगण की अपील बिना किसी आधार के खारिज कर दिया । उनका तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने विवादित आराजी को प्रार्थीगण की खातेदारी की होना माना है जो रिकार्ड से भी सिद्ध है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालयों ने एक खातेदार के न्यायहितों को बिना मध्य नजर रखे ही रेलवे विभाग को पाबंद न करने में भारी भूल की है। उनका तर्क है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 23–12–2023 प्रस्तुत की गई है तथा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार रेलवे पट्टी से 14 मीटर दूरी तक प्रार्थीगण की रिकॉर्डेड भूमि होना मानी गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख व मौका रिपोर्ट से प्रार्थीगण के पक्ष में अनुकूलता न पाई जाकर रेलवे द्वारा वाद प्रस्तुती के पश्चात 100 फुट	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2777 / 2004 / सीकर** **जगनाथ बनाम मण्डल इंजिनियर(पश्चिम)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के गार्डर के टुकड़े गाड़ दिए जाने को अत्यधिक महत्व दिया है। उनका तर्क है कि पुरानी रेलवे लाईन बाबत् अंकन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय में किया है उस सीमा तक रेलवे विभाग को कायम रहना था किन्तु रेलवे विभाग ने अपनी फैसिंग आगे बढ़ाकर प्रार्थीगण के खेत में अतिक्रमण करने का नाजायज प्रयास किया है। इस तथ्य को दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अदृश्य रूप से स्वीकार किया जा रहा है कि प्रार्थीगण के खेत वर्तमान में डाली जा रही फैसिंग में आ रहे हैं जबकि पूर्व लाईन में नहीं थे जिससे सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण की खोतदारी भूमि में रेलवे विभाग जबरन फैसिंग कर रहा है। अंत में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। 3— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने निवेदन किया कि निगरानीधीन आदेश विस्तृत रूप से पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निगरानीधीन आदेश उचित व कानून सम्मत होने से निगरानी को खारिज किए जाने का निवेदन किया। 4— हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की ओर से निगरानी पर की गई बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान के मध्य आपस में जो विवाद है वह सीमा को लेकर है। एक तरफ अपीलांट / प्रार्थी जो खातेदार है उसका यह तर्क है कि हमारे खेतों की जमीन पर रेलवे ने अपनी सीमा बढ़ा दी है। दूसरी तरफ रेलवे का कथन यह है कि हमने सीमा नहीं बढ़ाई है अपितु रेलवे लाईन डालते समय जो सीमा तय की गई है उसी पर फैसिंग की गई है इसके अलावा किसी प्रकार अनावश्यक रूप से रेलवे की जमीन पर कब्जा करने के लिए प्रार्थी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को देखने से यह स्पष्ट होता है कि रेलवे द्वारा अपनी सीमा से अधिक की बढ़ोतरी नहीं की गई है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी उक्त आधारों पर ही अपने विस्तृत एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किए गए हैं जिनमें हस्तगत निगरानी के माध्यम से हम किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2777 / 2004 / सीकर** **जगनाथ बनाम मण्डल इंजिनियर(पश्चिम)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझते हैं। परिणामस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य पाई जाती है। 5— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	